## संक्षिप्त समाचार

### कलेक्टर ने गढ़ कैलाश मंदिर पर सावन पर्व के दृष्टिगत व्यवस्था देखी

रतलाम। कलेक्टर रुचिका चौहान ने रतलाम के गढ़ कैलाश मंदिर पहुंचकर सावन पर्व के मद्देनजर व्यवस्था का निरीक्षण किया। कोरोना से बचाव के दृष्टिगत परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन व्यवस्था देखी। सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी भी मौजूद थे।

### शिक्षा विभाग स्कूल प्रारंभ करे या अनावश्यक आदेश जारी कर शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना न दे

रतलाम। मप्र शिक्षक संघ की तहसील शाखा रतलाम की बैठक संपन्न हुई। उसमें शासन के द्वारा निर्देश जारी होने के कारण शिक्षकों ने कहा है कि एक ओर पूरे विश्व में संक्रमण के कारण सभी यातयात परिचालन बंद पड़ा हुआ हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घर-घर जाकर थाली बजाने की कार्यवाही से शिक्षक अपमानिक व प्रताड़ना महसूस करते हैं। शिक्षक संघ के तहसील अध्यक्ष रामप्रसाद गेहलोत व बाजना अध्यक्ष सीमा शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार व अधिकारियों की साजिश हैं। एक तरफ सरकार शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहती है और दूसरी और गली मोहल्लों में उनसे थाली बजाने को कह रही हैं। गैर जिम्मेदार फैसलों से प्रदेश के लाखों शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की मनमानी पर सरकार अंकुश लगाए, नहीं तो शिक्षक आंदोलन की राह पर जाएंगे। उपरोक्त मांग शिक्षक संघ पदाधिकारी जगदीश उपमन्यू, सर्वेश कुमार माथुर, जितेन्द्रसिंह चौहान, विजय यादव, गोपाल उपाध्याय, जीडी बैरागी, देवराज गेहलोत, सोनिका व्यास, कोमल बोरीवाल, आरसी मिश्रा, शंकरलाल मालवीय, विजय मेहरा, मनोहर सोलंकी, राजेश सोनी, आदि ने मांग की एवं जानकारी दी।

### शैरानी बने मंच के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य

रतलाम। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अखिल भारतीय मार्गदर्शक इन्द्रेश कुमार व मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमती से मध्यप्रदेश प्रभारी मोहम्मद फारूख खान ने मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सैयद अमजद अली, मंच के संभाग प्रभारी अज्जू भाई एवं मंच जिला संयोजक इलियास अहमद कुरेशी की सहमति से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुबारिक खान शैरानी को नियुक्ति किया। शेख अजहरुद्दीन, मुस्तफाआरिफ,सईद कुरैशी, सलीम मेव, इस्माइल खान, आसिफ मिर्ज़ा आदि ने पदाधिकारियों का आभार माना।

### मास्क नहीं पहनने पर 16 हजार 500 रुपए पेनल्टी वसूली

रतलाम। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले में मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध पेनल्टी वसूली की कार्रवाई जारी है। रतलाम शहर में राजस्व अमले द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले 116 व्यक्तियों से 16 हजार 500 रुपए पेनल्टी वसूल की गई। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के अलावा दुकानदार भी सम्मिलित हैं।

# प्रदेश में रतलाम जिले का 65 .26 फीसदी परिणाम ,दो छात्र मेरिट सूची में शामिल

**रतलाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शनिवार को हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित किया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं और दो विषयों विशिष्ट भाषा और सामान्य भाषा के पेपर नहीं हो पाए थे, इन दोनों विषयों में सभी विद्यार्थियों को पास किया गया है।**

**हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित**

रतलाम जिले का 65.26 फीसद परिणाम रहा। प्रदेश की प्रावीण्य सूची में रतलाम के 2 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया। दोनों ही विद्यार्थी अशासकीय विद्यालयों के रहे। इस बार उत्कृष्ट विद्यालय प्रदेश की प्रावीण्य सूची से बाहर हो गया। प्रदेश की प्रवीण सूची में नवे स्थान पर रतलाम के श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल के हर्ष अग्रवाल तथा साई श्री अकादमी के हर्षित सिंह सोलंकी रहे।

**गत वर्ष से 5 फीसद कम रहा परिणाम**

*जिला शिक्षा कार्यालय परीक्षा विभाग के राजेंद्र पांडेय ने बताया कि जिले का परीक्षा परिणाम 65.26 प्रतिशत रहा। कुल 14077 परीक्षार्थी ने आवेदन किया था जिसमें से 13928 परीक्षा में शामिल हुए वहीं 149 अनुपस्थित रहे। 13 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम श्रेणी में 5463, द्वितीय श्रेणी में 3582 तथा तृतीय श्रेणी में से 37 विद्यार्थी उत्तरण हुए हैं वही 3177 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 1656 परीक्षार्थी को पूरक की पात्रता मिली है। 9082 कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।*

### जिले में बालिकाओं ने बाजी मारी

हाईस्कूल परीक्षा में 4444 बालक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वहीं 4636 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई। इस तरह बालक 60.28 फीसद तथा बालिकाएं 70.88 उत्तीर्ण हुई है।

### उत्कृष्ट विद्यालय का परिणाम 99 .5

उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुभाष कुमावत ने बताया कि कुल 204 परीक्षार्थी में से 192 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी में 12 उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरह विद्यालय का

# दुष्कर्म की सजा काट रहा कैदी फरार, आठ दिन बाद जेल अधीक्षक निलंबित

**रतलाम। विगत दिनों जिला जेल से सजा काट रहे कैदी के भागने वाले मामले में जेल अधीक्षक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने एवं जानकारी नहीं देने के आरोप में जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है।**

**भ्रामक जानकारी मुख्यालय भेजी**

जानकारी के अनुसार केन्द्रीय जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने जांच कर एक प्रतिवेदन में बताया कि बंदी के फरार होने के संबंध में वास्तविक तथ्यों से राजाराम डांगी द्वारा जेल मुख्यालय को सूचित नहीं किया गया। साथ ही घटना के संबंध में भ्रामक जानकारी जेल मुख्यालय को प्रेषित की गई थी। गलत तथ्य प्रस्तुत करने एवं जानकारी नहीं देने के आरोप में शनिवार को जेल अधीक्षक राजाराम डांगी को निलंबित कर दिया है।

### ये था मामला

बाजना निवासी गेंदालाल कटारिया को वर्ष 2015 से न्यायालय के आदेश के बाद लैंगिक अपराधों के चलते 10 वर्ष का कारावास दिया गया था। 26 जून शुक्रवार सुबह उक्त आरोपी ने जेल के कर्मचारियों को सीने में दर्द और घबराहट होने की बात कही जिसके बाद आरोपी गेंदालाल को जांच हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पर्ची बनवाने के समय आरोपी पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के 8 दिन के भीतर जेल अधीक्षक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने एवं जानकारी नहीं देने के आरोप में शनिवार को जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है।

## मेडिकल कॉलेज कोविड- हॉस्पिटल से 5 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे

रतलाम। मेडिकल कॉलेज के कॉविड हॉस्पिटल से शनिवार सुबह पांच कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर जमुना भिड़े ,डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ संजय दीक्षित हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा स्वस्थ मरीजों का करतल ध्वनि से अभिनंदन किया गया। जानकारी के अनुसार स्वस्थ हुए मरीजों में रतलाम के लक्ष्मणपुरा का 19 वर्षीय युवक ,शैरानीपूरा की 35 वर्षीय महिला ,जावरा के कोठी बाजार का 64 वर्षीय पुरुष, 59 वर्षीय महिला तथा एक 52 वर्षीय महिला सम्मिलित है। इस प्रकार जिले में स्वस्थ मरीजों की सख्या बड़कर 142 हो चुकी है।

### एक और पॉजिटिव

एक 47 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजीटिव मिली है। जिसके बाद रतलाम में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 169 हो गई है। जनसंपर्क विभाग के अनुयार शनिवार सुबह जिला चिकित्सालय ट्रू नॉट मशीन से सैंपल रिपोर्ट में राजेन्द्रनगर निवासी एक 47 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजीटिव मिली है। जिनका उपचार मेडिकल कालेज के आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। रिपोर्ट पॉजीटिव मिलने के पश्चात तहसीलदार गोपाल सोनी सहित अन्य स्टाफ उनके निवास राजेंद्र नगर पर पहुंचा और सभी से जानकारी ली।

## दवा वितरण,जांच एवं परीक्षण कक्ष पृथक बनाने के निर्देश

**रतलाम।** संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं अनसूया गवली रतलाम जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलपांक, उपस्वास्थ्य केंद्र रत्तागढ़खेड़ा, बिरमावल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली पहुंची, वहां पहुंचकर उन्होंने फीवर क्लीनिक में दी जा रही सेवाओं में दवा वितरण कक्ष, जांच कक्ष एवं परीक्षण कक्ष पृथक-पृथक स्थान पर बनाने के निर्देश दिए।

**संभागीय संयुक्त संचालक ने स्वास्थ्य केन्द्रों की मॉनिटरिंग कर निर्देश दिए**

उन्होंने रतलाम जिले के प्रसूति केंद्रों पर जाकर प्रसूता माताओं से चर्चा की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरमावल में उन्होंने हर्बल गार्डन लगाने के निर्देश दिए। किल कोरोना सर्वे का उन्होंने ग्राम रत्तागढ़खेड़ा, बिलपांक और बिरमावल में

निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि घरों में जाकर प्रोटोकॉल अनुसार सभी प्रकार के प्रश्न पूछे। सभी प्रकार की आवश्यक जांच करें और सर्वे प्रपत्र में सभी आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण रखें। भ्रमण के समय उनके साथ डीएचओ डॉक्टर जीआर गौड़, सीबीएमओ डॉ. प्रतिभा शर्मा, डीपीएम अजहर अली, एमईआईओ आशीष चौरसिया, संभागीय सांख्यिकी अधिकारी विजय गोठवाल, सलोनी मेहता, बायो मेडिकल वेस्ट इंजीनियर बीईई इशरत जहां सय्यद तथा अन्य अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

### सम्पत्ति कर का निर्धारण करने के निर्देश

रतलाम। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा सभी नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना अनुसार सम्पत्ति कर का निर्धारण करने के निर्देश दिये गए हैं। संचालनालय द्वारा सभी नगरीय निकायों को वार्षिक कार्ययोजना भेजी गयी है। निकायों से 15 जुलाई तक मकानों की गणना तथा सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाना है। आगामी 30 सितंबर तक सम्पत्ति कर


**न्यायालय तहसीलदार तहसील रतलाम (शहर)जिला रतलाम**

क्रमांक 1953/री-1/2020 रतलाम,दिनांक 3/07/2020

प्रकरण क्रमांक 160/अ-6/2020-21

**संशोधित विज्ञप्ति**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रकाश पिता मोतीलाल पाटीदार निवासी ग्राम करमदी तह व जिला रतलाम द्वारा ग्राम करमदी भूमि सर्वे 289/1/1 में से रकबा 0.100 हे.भूमि पर विक्रय पत्र/फौती नामांतरण/ वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा गया हैं। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/फर्म आदि को कोई आपत्ति हो तो वह लिखित आपत्ति मय प्रमाण के दिनांक 07/7/2020 तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 01/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार

तहसील रतलाम (शहर) म.प्र.



**ऐक्सिस बैंक लिमिटेड**

रजिस्टर्ड ऑफिस : त्रिशुल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006 (गुजरात)

रिटेल असेट सेल सेन्टर : धन ट्रीडेंट, ब्लॉक बी-3, पीयू-4, स्कीम नं. 54, सत्य सांई स्कूल के सामने, मेट्रो टॉवर के पास, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)

**आधिपत्य सूचना** अचल संपत्ति के लिए

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(1) में उल्लेखित परिशिष्ठ 4 के अंतर्गत**

चुंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से सिक्युरीटाइजेशन एवं रिकन्सटक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के नियम 9 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणीयों/जमानतदारों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया था जिसमें उन्हे नोटिस में अंकित राशि साथ में अनुबंध दर से ब्याज, दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य का नोटिस प्राप्ति दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऋणी/जमानतदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे है। अतः ऋणी को स्पष्ट रुप से एवं आम जनता को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त एक्ट की धारा 13(4) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जिन्हे उक्त नियम 9 के साथ पढ़ा जाये, निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई संपत्ति का **आधिपत्य** निम्न वर्णीत दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणी/जमानतदार को स्पष्ट रुप से एवं आम जनता को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों से संबंधित कोई व्यवहार न करें एवं निम्न सम्पत्ति से संबंधित कोई व्यवहार एक्सिस बैंक लि. को सूचना में उल्लेखित राशि साथ ही मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत आदि के लिये निर्मित प्रभार के अधीन होगा।

| क्रं. | ऋणीयों/बंधककर्ता/ प्रोप्रायटर/ जमानतदार के नाम | बकाया राशि दिनांक तक | मांग सूचना दिनांक / आधिपत्य दिनांक | अचल संपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री नीरज गेरा एवं श्री मोहित गेरा | ₹ 15,10,088/- 26.02.2020 को | 28.02.2020 / 29.06.2020 | **संपत्ति क्रं. 1 का विवरण** : प्लाट 394/ए, तुलसी नगर, ग्राम पिपलियाकुमार इन्दौर (म.प्र.) स्थित संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग जो की श्री नीरज गेरा पिता श्री कमल नयन गेरा नाम पर है। **कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट। चर्तु:सीमाः** पूर्व- प्लाट नं. 395/ए, पश्चिम- अन्य प्लाट, उत्तर- प्लाट नं. 411/ए, दक्षिण- कॉलोनी रोड़ **संपत्ति क्रं. 2 का विवरण** : प्लाट 395/ए, तुलसी नगर, ग्राम पिपलियाकुमार इन्दौर (म.प्र.) स्थित संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग जो की श्री नीरज गेरा पिता श्री कमल नयन गेरा नाम पर है। **कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट। चर्तु:सीमाः** पूर्व- प्लाट नं. 396/ए, पश्चिम- प्लाट नं. 394/ए, उत्तर- प्लाट नं. 410/ए, दक्षिण- कॉलोनी रोड़ |
| 2. | श्री ओमप्रकाश रघुवंशी एवं श्री हरिओम रघुवंशी | ₹ 25,42,251/- 30.12.2019 को | 31.12.2019 / 29.06.2020 | प्लॉट नं. 115, ग्राम कालीबिल्लौद, तहसील देपालपुर, जीवन ज्योति विहार कॉलोनी, सेक्टर-ई, पीथमपुर, धार-454775 स्थित संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग जो कि ओम प्रकार रघुवंशी पिता श्री मुन्नालाल रघुवंशी के नाम पर हैं। **क्षेत्रफल 750 वर्गफीट, चर्तु:सीमाः** पूर्वः प्लॉट नं. 116, पश्चिमः प्लॉट नं. 114, उत्तरः कॉलोनी रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 88 एवं 89 |
| 3. | श्री अशोक शिंदे एवं श्रीमती अपर्णा शिंदे | ₹ 6,39,607/- & ₹ 3,30,770/- & ₹ 81,773/- & 07.03.2020 को | 07.03.2020 / 29.06.2020 | प्लाट नं. 444 शिवसिटी सिल्वर, ग्राम निहालपुर मुण्डी, तेह. एवं जिला इन्दौर (म.प्र.) स्थित संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग जो कि श्री अशोक शिंदे पिता श्री शोभाराम शिंदे के नाम पर हैं। **क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट (278.81 वर्गमीटर), चर्तु:सीमाः** पूर्वः कॉलोनी रोड़, पश्चिमः प्लाट नं. 457, उत्तरः कॉलोनी रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 443 |

दिनांक : 05.07.2020 (प्राधिकृत अधिकारी)

स्थान : इन्दौर ऐक्सिस बैंक लि.


# परीक्षा परिणाम : पड़ोसी प्रथम, मंदसौर तीसरे स्थान पर

## दसवीं के परिणाम के बाद कहीं खुशी कहीं गम

मंदसौर। एमपी बोर्ड ने शनिवार को दसवीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा की। मंदसौर नीमच के लिए परिणाम बेहतर रहा। नीमच ने तो प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं मंदसौर तीसरे स्थान पर रहा। इस बार मंदसौर के पांच विद्यार्थियों ने प्रदेश के टॉप टेन की सूची में स्थान पाया। वहीं नीमच की बात करें तो प्रदेश की टॉप टेन सूची में नीमच के आठ विद्यार्थी शामिल है। परिणाम घोषित होते ही कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला।

शनिवार को सुबह से ही दसवीं के विद्यार्थी बैचेन नजर आ रहे थे। कारण था शनिवार को एमपी बोर्ड का परिणाम घोषित होने वाला था। जैसे ही पोर्टल और बेवसाइट पर रिजल्ट प्रकाशित हुआ। कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया। वैसे नीमच मंदसौर जिले का परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा। नीमच ने तो प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं मंदसौर भी तीसरे स्थान पर रहा। कई जगहों पर गम अंक कम आने का था। कुछ विद्यार्थी परीक्षा में कम आने को लेकर काफी निराश भी नजर आए। प्रदेश में नीमच जिले का परक्षा परिणाम 79.13 प्रतिशत सर्वाधिक रहा। दूसरे स्थान पर देवास 78 प्रतिशत व तीसरे स्थान पर मंदसौर 75.53 प्रतिशत रहा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदसौर का परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा। यहीं नहीं इस बार पांच विद्यार्थियों ने प्रदेश की टॉप टेन सूची में स्थान बनाया। जबकि पिछली बार सिर्फ दो विद्यार्थी प्रदेश की टॉप टेन सूची में शामिल थे। इसके अलावा नीमच के आधा दर्जन से ज्यादा टॉप टेन सूची में नजर आए।

### नीमच के आठ मेरिट में

माशिमं की 10वीं की प्रदेश की मेरिट सूची में नीमच जिले के आठ विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। इनमें पांचवे स्थान पर 3, सातवें स्थान पर 2, आठवें पर 1 तथा नवे स्थान पर 2 विद्यार्थी रहे। 4 नीमच शहर के , एक कुकड़ेश्वर और 3 जावद क्षेत्र के है।

### जितने पेपर हुए हैं रिजल्ट उसी के आधार पर

इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण हिन्दी (विशिष्ट), अंग्रेजी (विशिष्ट), उर्दू (विशिष्ट) हिन्दी (सामान्य) विषयों की परीक्षाएं संपादित नहीं हो सकी। कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर स्वाध्यायी छात्रों की विज्ञान प्रयोगिक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी, इन विषयों में परीक्षार्थियों की अंकसूचियों में अंको के स्थान पर उत्तीर्ण अंकित किया गया है। जिन विषयों की परीक्षाएं संपन्न हुई है, उन्हीं विषयों के आधार पर परीक्षाफल तैयार किया गया है।

### निजी से बेहतर सरकारी स्कूल

सबसे बड़ी बात यह रही कि मोटी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों से बेहतर इस बार सरकारी स्कूल रहे। नीमच की बात करें तो ८२.८२ प्रश विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के उत्तीर्ण हुए। इधर बात करें निजी स्कूलों की तो निजी स्कूलों का परीक्षा परिणाम ७२.९३ ही रहा। मंदसौर में भी यहीं स्थिति रही। ७९.५९ प्रतिशत रिजल्ट मंदसौर के सरकारी स्कूलों ने दिया। वहीं निजी स्कूलों का परीक्षा परिणाम ७०.०८ प्रतिशत ही रहा।

### प्रायवेट विद्यार्थियों ने किया फिर निराश

प्रायवेट विद्यार्थियों ने फिर से निराश किया। नीमच की बात करें तो रेग्युलर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम ७९.१३ प्रतिशत रहा। जबकि प्रायवेट विद्यार्थियों में सिर्फ २२.४० प्रतिशत विद्यार्थी ही पास हुए। वहीं मंदसैश्र की हालत भी यहीं रही। २१.८० प्रतिशत प्रायवेट विद्यार्थी पास हुए। वहीं ७५.५३ प्रतिशत रेग्युलर विद्यार्थी पास होने वालों में शामिल थे।

### मंदसौर का हरिओम प्रथम

मंदसौर के स्मार्ट इंटरनेशनल उमा विद्यालय के छात्र हरिओम पाटीदार ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान बनाया है। शारदा कान्वेंट स्कूल गरोठ की कशिश उड़िया प्रदेश की मेरिट में तीसरे स्थान पर रहीं। पायल पिता अरविंद जैन स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल ने सातवां, मेघा पिता राजेंद्रसिंह शासकीय हाईस्कूल सेमली ने आठवां और अभिषेक पिता नंदकिशोर पंचौली अमर ज्ञान मंदिर भागोर ने भी आठवां स्थान प्रदेश की टॉप टेन की सूची में प्राप्त किया।

## केंद्रीय मंत्री बोले-पार्टी के प्रति समर्पित है विधायक सिसौदिया

**मंदसौर।** कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि हमारे यहां के जनप्रतिनिधि को अवसर मिलना चाहिए लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी स्वाभाविक होती है, लेकिन मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पार्टी के प्रति समर्पित हैं उनके पिताजी और परिवार का जनसंघ की स्थापना से लेकर अब तक का योगदान अतुलनीय है। यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चर्चा करते हुए कही उन्होंने कहा कि विधायक यशपालसिंह सिसोदिया अनुशासित और संस्कारवान है उनके पिताजी और भ्राता भी विधायक रहे ।जनसंघ की स्थापना करने में उनकी अहम भूमिका रही है विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उल्लेखनीय है कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भावना थी कि इस बार विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को प्रदेश मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए ।विधायक श्री सिसोदिया की सक्रियता, विकासवादी सोच और उल्लेखनीय विकास कार्यों के कारण कार्यकर्ताओं को लग भी रहा था कि इस बार तीसरी बार के विधायक श्री सिसोदिया मंत्री बनेंगे लेकिन प्रदेश मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं करने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल बना था।


**HDFC BANK** We understand your world

**प्रधान कार्यालय** : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013

**क्षेत्रीय कार्यालय** : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

**ई-नीलामी विक्रय सूचना**

**अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचें दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जावेगी।

**अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण**

| क्रं. | शाखा एवं खाता का नाम | संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम | समान बंधक संपत्ति का विवरण | मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक | निरिक्षण की तिथी एवं समय | आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि | ई-नीलामी की तिथी/समय | बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथी | प्राधिकृत अधिकारी का नाम/ फोन नं./ ई-मेल आईडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **शाखा** - नीमच एवं खाता - **विजय कुमार महावीर प्रसाद** | **श्री विजय कुमार जैन एवं श्रीमती शोभा जैन** | मकान नं. 443 पुराना एवं नया नं. 62 का भाग, अहिर मोहल्ला स्थित, बघाना, नीमच, जिला-नीमच (म.प्र.). संपत्ति मालिक : श्री विजय कुमार जैन | रु. 20,63,353.03 / दिनांक 10/06/2016 | 31/08/2020 एवं समय- प्रात: 10.00 बजे के बाद | Rs. 16,96,000/- / Rs. 1,69,000/- / Rs. 10,000/- | 14/09/2020 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक | 10/09/2020 सायं 4 बजे तक | आशिष रावत 9981126266 Ashish.rawat9@hdfcbank.com |

**नियम एवं शर्ते**

1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 02400930000063, खाता का नाम : FUNDS TO BE CLEARED : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड डाफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर कोई भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/करों के बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों , संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगीन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री दानिश खान, मोबाईल : 09826804343, 09111444797 एवं श्री हरीश गोवडा मो.: 09594597555,** हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय अवधि (प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों को संपर्क करें।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 30 दिनी बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 30 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 04/07/2020, स्थान : नीमच, मध्य प्रदेश एचडीएफसी बैंक लिमिटेड